Regarding availing of benefits earmarked for Scheduled Tribes by persons converted to other religions- Laid

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) :अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की पहचान और अधिसूचना का अधिकार राष्ट्रपति जी को प्राप्त है और इसी के अंतर्गत वर्ष 1950 में एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की गई थी । किंतु इस अधिसूचना में अनुसूचित जातियों की परिभाषा एवं प्रावधानों की भांति धर्मान्तरण के बाद अनुसूचित जनजाति में अपात्र करने का प्रावधान नहीं है । यह ज्ञात है कि जनजातियों के कुछ व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति एवं रूढ़ीवादी परंपराओं को त्यागकर ईसाई या इस्लाम मजहब अपना चुके हैं, किंतु फिर भी अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक लाभ उठा रहे हैं । इससे मूल जनजातीय समाज को मिलने वाले संवैधानिक लाभों के हक छीने जा रहे है । अतः मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जातियों की भांति ही एक सुस्पष्ट विधिक प्रावधान बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति उक्तानुसार धर्मान्तरित होकर जनजातीय पहचान से बाहर हो गए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से बाहर किया जाए । यह विधान संविधान की भावना, सामाजिक न्याय, विकास एवं जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ।